"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2011—माघ 22, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007) सहायक कलेक्टर, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 10-4/2010/1/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-8/2001/1/एक दिनांक 29 अक्टूबर 2004 द्वारा दी गई सुविधाओं से संबंधित आदेश में भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष के लिए निम्नानुसार संशोधन करता है :—

बिजली :—

आवंटित शासकीय आवास में रु. 3,000/- (रु. तीन हजार) प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए रु. 10,000/- (रु. दस हजार) प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली की पात्रता होगी.

2. यह संशोधन आदेश, जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

3. उक्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय मांग संख्या 1-2013 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. इस पर वित्त विभाग ने यू.ओ. क्रमांक 20/सी.एन. 31731/बजट-5/वित्त/चार/2011 दिनांक 19-01-2011 द्वारा सहमति दी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/277/एफ-12/41/2009/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा समसंख्यक विभागीय अधिसूचना क्र. डी-15/11/84/14-3 (20) भोपाल, दिनांक 06-09-1985 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण बेमेतरा, जिला-दुर्ग के मण्डी क्षेत्र में निम्नांकित स्थानों पर बने किसी संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप-मण्डी प्रांगण घोषित करती है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम दाढ़ी (प. ह. नं. 06) तहसील बेमेतरा, जिला-दुर्ग में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 293 का लगभग 05.00 एकड़ क्षेत्र :—

सीमाएं

1.	उत्तर में	—	कुम्हार के लिये आरक्षित भूमि
2.	दक्षिण में	—	खसरा नं. 293 की शेष शासकीय भूमि (पंचवन)
3.	पूर्व में	—	समस्त पक्की सड़क दाढ़ी से पचमैया रोड
4.	पश्चिम में	—	खसरा नं. 293 का भाग हाईस्कूल की भूमि

Raipur, the 25th January 2011

No./277/F-12/41/2009/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette of this notification, the following places including any structure, enclosures open place or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard, Bemetara,

District-Durg declared vide Departmental Notification No. D-15/11/84/14-3 (20), Bhopal, dated 06-09-1985, namely :—

PLACE

An area of about 05.00 acres of Government Land situated in Khasra No. 293 at Village Dari (P-H-No. 06) in Tahsil Bemetara, District-Durg Surrounded by :—

Boundries

1.	North side	—	Land reserved for Kumhar
2.	South side	—	Remaining of Government land (Panchvan) in Khasra No. 293
3.	East side	—	All concrete road Dari to Pachmaiya
4.	West side	—	Portion of Khasra No. 293, land of High School

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

फा. क्र. 648/3405/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री योगेश पारीक आत्मज श्री जगदीश प्रसाद पारीक को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक 243/पीएस/एसआईटी/2010/चॉइस.—छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियम 4 (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र. 815/सीए/एसआईटी/2003/चॉइस दिनांक 19 अगस्त, 2003 द्वारा विहित एवं चॉइस केन्द्रों में अनुरक्षित की जाने वाली न्यूनतम अधोसंरचना निम्नानुसार संशोधित की जाती है :—

1. कम्प्यूटर मल्टीमीडिया सहित (कम से कम पेंटियम 4 या अधिक)
2. अनुज्ञप्त प्रचालन प्रणाली सॉफ्टवेयर (विंडोज एक्स पी/विस्टा/2007/बॉस लिनेक्स नवीनतम संस्करण)
3. एक डॉट मेट्रिक्स प्रिन्टर (24 पिन, 136 कॉलम, न्यूनतम 280 कॅरेक्टर प्रति सेकंड) या लेजर प्रिन्टर या इंकजेट/डेस्कजेट प्रिन्टर.
4. अनइन्टरप्टेड पॉवर सप्लाई (कम से कम आधा घंटा बैकअप का)
5. इंटरनेट कनेक्शन/ब्राडबैंड कनेक्शन
6. डिजिटल कैमरा 1.3 मैगापॅक्सेल
7. स्कैनर 600 डीपीआई × 600 डीपीआई, ए-4 आकार
8. आवश्यक कार्यालय परिसर, विद्युत संयोजन एवं फर्नीचर व उपकरण.

Raipur, the 22nd December 2010

No. 243/CA/SIT/2010/CHO*i*CE.— In exercise of the powers conferred under rule 4 (f) of the Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003, following amendments are being done in the Department Order No. 815/CA/SIT/2003/CHO*i*CE dated August 19th, 2003 for maintaining prescribed minimum infrastructure in every CHO*i*CE centre :

1. Computer with Multimedia (minimum Pentium IV or above)
2. Licensed Operating System Software (Windows XP/Vista/2007/or BOSS LINUX latest version)
3. One Dot Matrix Printer (24 Pin, 136 Column, minimum 280 Characters per second) or Laser Printer or Inkjet/Desk Jet Printer.
4. Uninterrupted Power Supply (minimum half-an-hour back-up)
5. Internet Connection/Broadband Connection
6. Dig tal Camera 1.3 mega pixel
7. Sca ner 600 DPI x 600 DPI A-4 size
8. Necessary office premises, electricity connection and furniture & equipment

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक 244/स/एसआईटी/2010/चॉइस.—छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) की अधिसूचना क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस, दिनांक 19 अगस्त 2003 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियम 4 (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चॉइस एजेंट की नियुक्ति के लिये विभागीय आदेश क्रमांक 809/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस, दिनांक 19 अगस्त 2003 में उल्लेखित प्रक्रिया के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रक्रिया विहित की जाती है—

1. राज्य में सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1 (6)/06-ईजीडी दिनांक 10 अक्टूबर 2006 द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन एवं चिप्स ने सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ ग्राम स्तरीय उद्यमी (Village Level Entrepreneur-VLE) नियुक्त करने हेतु अनुबंध निष्पादित किया है. इस निष्पादित अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमी नियुक्त किये गये हैं. इन ग्राम स्तरीय उद्यमियों को एतद्द्वारा चॉइस एजेंट घोषित किया जाता है.

   इन ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 243/सीए/एसआईटी/2010/चॉइस दिनांक 22-12-10 में दर्शाये अनुसार न्यूनतम अधोसंरचना अनुरक्षित करने का सेवा प्रदाता एजेंसी का सत्यापित प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियम 4 (ङ) अनुसार ग्राम स्तरीय उद्यमी एवं कलेक्टर के मध्य अनुबंध निष्पादित करने पर संलग्न प्रारूप अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये चॉइस एजेंट छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियमों के अधीन अधिसूचित नागरिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे एवं इन्हीं नियमों के अधीन विनियमित होंगे.

संलग्न- एक प्रारूप.

Raipur, the 22nd December 2010

No. 244/CA/SIT/2010/CHO*i*CE.— In exercise of the powers conferred under rule 4 (d) of Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003 issued vide Government of Chhattisgarh, Department of Industries (Information Technology) Notification No. 806/PS/SIT/2003/CHO*i*CE dated 19th August 2003, the following additional procedure is hereby prescribed apart from procedures already laid down vide Department Order No. 809/PS/SIT/2003/CHO*i*CE dated 19th August 2003 for appointment of CHO*i*CE agents in rural areas of the State.

1. As per guidelines issued by Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India vide D. O. letter No. 1 (6)/06-EGD dated 10 October 2006 for setting up of Common Service Centres (CSC), State Government & CH *i*PS has executed agreement with Service Centre Agencies (SCA) for appointment of Village Level Entrepreneurs (VLE). As per this agreement, Service Centre Agencies has appointed Village Level Entrepreneurs for Common Service Centre. These Village Level Entrepreneurs are hereby appointed as CHO*i*CE agent.

These Village Level Entrepreneurs, after submission of verification certificate by Service Centre Agencies for Maintaining Minimum infrastructure as detailed in Department Order No. 243/ CA/SIT/2010/CHO*i*CE dated 22/12/10 and execution of agreement between Village Level Entrepreneurs and Collector as per rule 4 (e) of Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003, Collector would issue Certificate as per enclosed proforma and permission to start the work.

2. CHO*i*CE agents as appointed above would provide Notified Citizen Services as per the Rules laid down in the Notification and would be regulated as per these Rules.

Enclosed :— One proforma

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

Government of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ शासन

Department of Information Technology and Biotechnology

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE

Paste VLE's Photograph

S. No. ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. --
पिता/पति/सुपुत्री -------------------------------- ग्राम ---------------- जनपद पंचायत ---------------
जिला ------------------------------ छत्तीसगढ़ में सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉइस सेन्टर) परियोजना संचालित करने के लिये अधिकृत है, ये ग्रामीण उद्यमी -- (सेवा प्रदाता एजेंसी) के माध्यम से चॉइस सेन्टर संचालित कर रहे हैं.

This is to certify that Shri/Smt./Ku. -- S/o, W/o, D/o Shri ------------------
-- for Village ------------------------------------ Block ---------------------------------
District ----------------------------------- Chhattisgarh is the authorized Village Level Entrepreneur "VLE" to run CHO*i*CE Centre with Service Centre Agency -- under the Common Services Centre Scheme.

जारी करने की तिथि ....
Issued Date ....
वैधता वर्ष ....
Valid for .... year

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorized Signatory

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरा प. ह. नं. 09	0.869	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड ग्राम कोतरा, जिला रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 400/220 के. व्ही. उपकेन्द्र विस्तार किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामपाली प. ह. नं. 26	2.718	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड ग्राम कोतरा, जिला रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 400/220 के. व्ही. उपकेन्द्र विस्तार किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्रमांक/142/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-मेडेसरा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-34.99 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
674	0.02
675	0.04
676/1	0.18
677/2	0.09
677/3	0.09
678/2	0.19
679/1, 2	0.04
680	0.12
681	0.26
682	0.15
683/1	0.15
683/2	0.13
684	0.27
685	0.15
686	0.41
691	0.18
1365	0.31
1366	0.31
1367	0.32
1368	0.66
1369	1.87
1370	1.61
1371	0.38
1372/1	0.21
1372/2	0.22
1373	0.21
1374	0.38
1375	0.49
1376	0.41
1377/1	0.08
1377/2	0.08
1379	0.02
692	0.15
693	0.05
694	0.04
695/1	0.20
695/2	0.19
696	0.25
697/1	0.10
697/2	0.09
698	0.13
699	0.13
700	0.26
701	0.16
702	0.19
703/1	0.05
703/2	0.12
704	0.56
705	0.48
706	0.20
707	0.15
708	0.23
709	0.15
710/1	0.21
1333	0.09
1336	0.03
1338	0.04
1341	0.03
1380	0.01
1394	0.11
1395/1	1.48
1395/2	0.14
1396	0.65
1397/1	0.32
1397/2	1.07
1398/1	0.61
1398/2	0.80
1399	0.10
1400	0.07
1416	0.08
1417	0.33
1418	0.17
1419	0.07
1421/1	0.03

(1)	(2)
1421/4	0.11
1421/5	0.02
1425/1	0.09
1425/2	0.14
1426/2	0.18
1427	0.04
1428	0.36
1429	0.19
1430/1	0.06
1430/2	0.24
1342	0.01
1343	0.37
1344	0.24
1345/1	0.40
1345/2	0.20
1346	0.46
1347/1	0.25
1347/2	0.11
1347/3	0.09
1348/1	0.15
1348/2	0.15
1348/3	0.12
1348/4	0.12
1349	0.73
1350	0.17
1351	0.07
1352	0.07
1353	0.31
1354	0.38
1355/1	0.13
1355/2	0.16
1355/3	0.10
1355/4	0.15
1355/5	0.13
1355/6	0.26
1356	0.32
1430/3	0.05
1430/4	0.16
1430/5	0.18
1431	0.30
1432/1	0.16
1432/2	0.17
1432/3	0.22
1433	0.25
1434	0.25
1435/1	0.22
1435/2	0.16
1435/3	0.02
1435/4	0.02
1435/5	0.06
1435/6	0.06
1436/1	0.14
1436/2	0.10
1437/1	0.10
1437/3	0.05
1438	0.10
1439/1	0.10
1439/2	0.06
1439/3	0.08
1440	0.10
1441/1	0.07
1441/2	0.06
1357	0.31
1358	0.15
1359	0.06
1360	0.06
1361/1	0.41
1361/2	0.20
1361/3	0.09
1362	0.13
1363/1	0.13
1363/2	0.13
1363/3	0.12
1364/1	0.18
1364/2	0.15
1442	0.16
1443	0.09
1444/3	0.05
1444/4	0.01
1444/6	0.14
1444/10	0.07
1444/12	0.08
1444/13	0.17
1444/15	0.17
1447	0.15
1448	0.33
1449	0.78
योग 161	34.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उच्च दाब पावर पुलिंग स्टेशन/पावरग्रिड कार्पो. हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.